बी0पी0 सिंह (भा0व0से0), निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा दिनांक 24.01.2021 को जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित उडामाण्डा से तल्ला बिनगढ़–खूनीगाड़ कुमेड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.51 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर निरीक्षण आख्या –

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 24.01.2021 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री विक्रम सिंह रावत, वन क्षेत्राधिकारी, नागनाथ रेंज तथा लो0नि0वि0 पोखरी से श्री अतुल शांडिल्य, सहायक अभियन्ता एवं श्री राहुल सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता मौके पर उपस्थित रहे। मोटर मार्ग के स्थलीय निरीक्षण से पहले मार्ग का मानचित्र एवं उससे लाभान्वित होने वाली बसावट, स्कूल, हॉस्पिटल आदि का अध्ययन किया गया :–

वैकल्पिक संरेखण का निरीक्षणः–

मोटर मार्ग के निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित लो0नि0वि0 पोखरी के सहायक अभियन्ता श्री अतुल शांडिल्य, श्री राहुल सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री विकम सिंह रावत, वन क्षेत्राधिकारी, नागनाथ रेंज को निर्देशित किया गया कि प्रभावित बांज वृक्षों को बचाने हेतु मार्ग के वैकल्पिक संरेखण पर विचार किया जाय। इसी कम में इस कार्यालय के पत्रां 1688/12–1, दिनांक 01.02.2021 को उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग एवं अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 पोखरी को बांज के वृक्षों को बचाने हेतु किये गये प्रयास एवं भूमि की वैधानिक स्थिति से अवगत कराने हेतु लिखा गया। इसी सन्दर्भ में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के पत्रांक 4372/12–1, दिनांक 09.04.2021 एवं अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 पोखरी के पत्रांक 591/15 सी0, दिनांक 31.03.2021 द्वारा स्पष्ट किया गया कि दिनांक 28.01.2021 को वन क्षेत्राधिकारी, नागनाथ एवं लो0नि0वि0 पोखरी के प्रतिनिधियों द्वारा पुनः वैकल्पिक संरेखण किया गया। वैकल्पिक संरेखण में 40 बांज के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं परन्तु वैकल्पिक संरेखण में 02 हियर पिन बैण्ड मात्र 200 मीटर की दूरी पर पड़ रहे है, जो कि मानकों के अनुसार उचित नहीं है। साथ ही उडामाण्डा, पारतोली, सिनाऊ के ग्रामवासी उक्त वैकल्पिक मार्ग से सहमत नहीं है क्योंकि वैकल्पिक संरेखण में गांव का पौराणिक ताल, मन्दिर एवं स्टेडियम प्रभावित हो रहा है। ग्रामवासियों द्वारा पूर्व में प्रस्तावित संरेखण में ही मार्ग निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। अतः प्रस्तावित मार्ग का अन्य वैकल्पिक संरेखण उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तावित संरेखण की संस्तुति की जाती है।

प्रस्तावित संरेखण का निरीक्षणः–

1. प्रस्ताव के अनुसार इस संरेखण में बांज के 75 वृक्ष एवं अन्य प्रजातियों के 243 वृक्षों सहित कुल 318 वृक्ष प्रभावित हो रहे है।
2. यह संरेखण भू–वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित है।

Scanned with CamScanner

3. इस संरेखण से लाभान्वित होने वाली बसावट वैकल्पिक संरेखण की तुलना में अधिक है।

अतः प्रस्तावित संरेखण को स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उपयुक्त पाया गया तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश के साथ संस्तुति की जाती है।

1. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के किसी भी प्राविधानों का उल्लंघन न होने पाये।
2. मोटर मार्ग निर्माण के लिये पातन हेतु चिन्हित होने पर भी आवश्यकतानुसार ही वृक्षों का पातन किया जाय और इस बात का ध्यान रखा जाय कि किसी अन्य वृक्ष को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचने पाये।
3. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान उत्सर्जित मिट्टी एवं अन्य मलवे को निर्धारित मक डिस्पोज क्षेत्र में ही निस्तारित किया जाय।
4. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन अग्निकाल के दौरान आसपास के वन क्षेत्र में वनाग्नि दुर्घटना घटित न होने पाये।
5. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु रखे गये मजदूरों द्वारा किसी भी वन्यजीवों का आखेट न होने पाये। ऐसा होने पर कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

(बी0पी0 सिंह)
निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

पत्रांक 2390 / 12-1 दिनांकित। 22/4/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फोरेस्ट कॉलोनी देहरादून।

2:– उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

3:– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 पोखरी।

(बी0पी0 सिंह)
निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner

<u>भाग–3</u>

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित उडामाण्डा से तल्ला बिनगढ़–खूनीगाड़ कुमेड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.51 है0 वन भूमि हस्तान्तरण

28	स्थल जहॉ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हॉ
29	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हॉ
30	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	इस प्रस्तावित मोटर मार्ग का निरीक्षण दि0 24.01.2021 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री विक्रम सिंह रावत, वन क्षेत्राधिकारी, नागनाथ रेंज तथा लो0नि0वि0 पोखरी से श्री अतुल शांडिल्य, सहायक अभियन्ता एवं श्री राहुल सिंह, कनिष्ठ सहायक मौके पर उपस्थित रहे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों को बचाने एवं उनकी संख्या न्यून करने के उद्देश्य से मौके पर इस मोटर मार्ग का अन्य वैकल्पिक संरेखण हेतु निर्देशित किया गया, परन्तु मार्ग का वैकल्पिक संरेखण उपयुक्त नहीं पाया गया। प्रस्ताव में संलग्न भारत सरकार के प्रपत्र भाग–2 में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा दी गयी टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं। अतः उक्त वर्णित मोटर मार्ग निर्माण के लिए वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य वन भूमि एवं स्थानीय वृक्ष प्रभावित न होने पाये तथा निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चयनित स्थलों पर सावधानी पूर्वक किया जाय।

तिथि 22-4-2021
स्थान– गोपेश्वर।

(बी0पी0 सिंह)
निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner

प्रारूप – 22

परियोजना का नाम :– जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित उडामाण्डा से तल्ला बिनगढ़–खूनीगाड़ कुमेडा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.51 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक **24.01.2021** को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बांज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :–

क्र0 सं0	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक/ कम्पार्टमेन्ट/ खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग										योग
					0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	
1.	सिविल वन पंचायत	–	बांज	Quercus leucotrichophora	07	13	43	12	–	–	–	–	–	–	75
योग :–					**07**	**13**	**43**	**12**	–	–	–	–	–	–	**75**

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बांज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

(बी0पी0 सिंह)
वन संरक्षक/निदेशक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner